पत्रांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018..................

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक ....

विषय : राज्य में आई०टी०/ आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० प्रक्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों का विकास, आवंटन एवं आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव का कार्य, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

[Development, allotment and maintenance of infrastructure of assets under the Administrative control of the Department of Information Technology to be executed through Bihar State Electronic Development Corporation Ltd., Patna for industrial development of IT/ITES and ESDM Sector in the State.]

राज्य में आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित किए जाने हेतु विभागीय संकल्प सं०–765 दिनांक–26.06.2014 निर्गत है, जिसके अन्तर्गत आई०टी० पार्क, आई०टी० टावर एवं आई०टी० सिटी सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित किए जाने का निर्णय है।

2. लक्ष्य यह है कि बिहार राज्य को भारत के पूर्वी क्षेत्र में आई०टी०, आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० प्रक्षेत्र में मुख्य निवेश गंतव्य बनाया जा सके।

3. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा विभिन्न आधारभूत संरचनाओं, यथा आई०टी० टॉवर, आई०टी० पार्क इत्यादि को विकसित करने एवं Office space का सृजन कर उसे स्टार्ट–अप तथा स्थापित आई०टी०/आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० कंपनियों को आवंटित किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु इन प्रक्षेत्रों की विभिन्न कम्पनियों को सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भूमि आवंटित किये जाने की भी योजना है।

4. तत्हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा आई०टी० सिटी की स्थापना हेतु राजगीर के निकट 111 एकड़ भूमि एवं मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा में आई०टी० पार्क की स्थापना हेतु 63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

5. विभागीय संकल्प सं०–767 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना के संगम ज्ञापन में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। संगम ज्ञापन में अतिरिक्त ऑब्जेक्ट के रूप में निम्न कंडिकाओं को सम्मिलित किया गया है :–

- To carry on in India the business of providing of services in relation to or in connection with setting up, development, operation, maintenance, modernisation, expansion and improvement of any infrastructure project or facility of knowledge parks, towers, information technology parks, information technology city or any other IT Infrastructure Development work and setting up of industrial areas, leasing and sub-leasing of land, building area to companies, persons, Government, firms, associations, authorities, bodies, trusts, agencies, societies or any other person.
- To actively promote investments into Information Technology Infrastructure Facility available in Bihar, initiate and support measures that will enhance the investment climate for both national and non-national enterprises and persons; and develop image-building activities to represent Bihar as an ideal investmnt destination and enagage in such other promotional activities for investments.

क्रमशः 2/–

6. उपरोक्त कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश वित्त विभाग की सहमति से सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा।

7. यह राज्य में IT / ITeS एवं ESDM प्रक्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।

8. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आई०टी० / आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० प्रक्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों का विकास, आवंटन एवं आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव का कार्य, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० पटना के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

9. उक्त संकल्प को दिनांक 23.07.2019 को मद संख्या–14 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55/2018.............. पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपि : (अनुलग्नक–सी०डी० सहित) उप सचिव (ई–गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55/2018.............. पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55/2018.............. पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55/2018.............. पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55/2018 910 पटना, दिनांक 02/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव